

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक : एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2026/9179

दिनांक : 22-9-26

मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार।

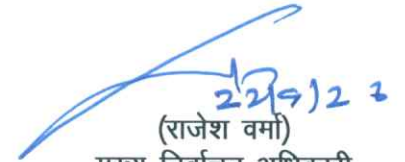
विषय:—आदर्श आचरण संहिता समाप्ति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आयोग द्वारा दिनांक 19.08.2026 को राज्य के 41 जिलों की कुल 309 नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई थी। नगर निगम जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं नगर पालिका सुकेत व खाटूश्यामजी को छोड़कर शेष 304 निकायों में समस्त पदों के लिये निर्वाचन प्रक्रिया आज दिनांक 22.09.2026 को पूर्ण हो चुकी है। अतः 304 नगरीय निकाय क्षेत्र, जहाँ निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उनमें नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रभावी आदर्श आचरण संहिता को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

नगर निगम जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं नगर पालिका सुकेत व खाटूश्यामजी में निर्वाचन प्रक्रिया अभी भी जारी है, अतः इन 05 नगरीय निकाय क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावी रहेगी।

साथ ही आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव शीघ्र सम्पन्न करवाये जाने हैं अतः राज्य के समस्त जिलों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने एवं कार्यग्रहण कराने पर पूर्ण प्रतिबंध यथावत जारी रहेगा।


(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक : 22-9-26

क्रमांक : एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2026/9180-91

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
7. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
8. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)(नगरपालिका) राजस्थान।
9. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, रा.नि.आ को संबंधित को ई-मेल करवाने एवं वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
11. पी.आर.ओ रा.नि.आ।
12. गार्ड फाईल।


उप सचिव